FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 01/08/2018 21:12 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/08/2018 **Time (समय):** 20:55 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date and Time (दिनांक और समय):** 01/08/2018 20:55 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Insp Rajesh Kumar

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1978 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**SVB Sub Unit KTL, KaithalKAITHAL, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**SVB Sub Unit KTL, KaithalKAITHAL, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	कामना खेत्रपाल			1. इन्चार्ज दाखिला शाखा,तत्कालीन उपकुलपति NIILM कैथलKAITHAL,HARYANA,INDIA
2	कुलदीप			1. भैरो खेड़ा,जुलाना जिन्दJIND,HARYANA,INDIA
3	मिन्टु			1. गांव ढिंगाना,जिन्द JIND,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12.

First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख इस प्रकार से है - सेवा में, प्रबंधक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला। श्री मान जी, जांच क्रमांक 05 दिनांक 15.09.2017 कैथल मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 63/50/2017-1VII दिनांक चण्डीगढ़ 11.09.2017 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांक 11855/आई-6/रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 19.09.2017 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर होकर पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी, जिसमें निदेशक, उच्चतर शिक्षा हरियाणा, पचंकूला की अनुशंसा पर इस आरोप की पड़ताल की जानी थी कि निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृति राशि प्रदान करने के लियें लगभग 4,84,56,604/-रूपये की राशि NIILM University, Kaithal के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। यह राशि NIILM University, Kaithal प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को मैन्टीनैन्स/स्कॉलरशिप के तौर पर दी जानी थी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त राशि छात्रों को न देकर अपने लिये प्रयोग कर ली गई। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की हरियाणा सरकार द्वारा प्रदत छात्रवृति राशि को गबन करने की नियत से सामान्य श्रेणी के छात्रों की तुलना में अनुसूचित जाति के छात्रों के अधिक संख्यां में अलग-2 कोर्सो/क्लासों में फर्जी दाखिले दिखाये गये है। जिस पर श्रीमति स्मिति चौधरी, भा.पु.से.,पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया जाकर आरोप की पड़ताल की गई। दौराने पड़ताल पाया गया कि Northern Institute for Integrated Learning in Management (NIILM) विश्वविद्यालय, कैथल द्वारा हरियाणा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार छात्रों का दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाना था, परन्तु NIILM विश्वविद्यालय कैथल द्वारा ऐसा ना करके अधिनियम की धारा-35 के प्रावधानों की उल्लंघना की गई है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की नीति/योजना अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को स्कूल/कालेज में अध्यापन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति देने का प्रावधान था। इस योजना के तहत महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला के माध्यम से हरियाणा में स्थित विश्वविद्यालयों/ कालेजों/स्कूल संस्थाओं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृति दी जानी थी। उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला द्वारा NIILM विश्वविद्यालय, कैथल को वर्ष 2013-2014 में कुल 596 बच्चों की मु0 3,27,96,626/-रूपये की राशि तथा वर्ष 2014-2015 में कुल 348 छात्रों की छात्रवृति राशि मु0 1,98,28,680/-रूपये की स्वीकृत करके विश्वविद्यालय के खाते में डालनी पाई गई है। इस राशि में से 17,42,886/-रूपये की राशि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के मैटीनैंस के तौर पर विजया बैंक कैथल में खोले गये खातों में ट्रांसफर की गई। जांच के दौरान NIILM विश्वविद्यालय, कैथल में जिन छात्रों द्वारा भिन्न-भिन्न कोर्सों में दाखिला लिया गया था, उनमें से श्री गौरव सांगर, सौरभ सांगर पुत्रान श्री सुनील कुमार व नितिन कुमार पुत्र श्री श्याम सुन्दर, वासी वार्ड नं0 6, हाल वार्ड नं0 8, पिहोवा, जिला कुरूक्षेत्र व पवन कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र, वासी जुलानी, जिला जीन्द से की गई पड़ताल पर पाया गया कि उन्होनें तो केवल कुछ व्यक्ति जो अपने आपको NIILM युनिवर्सिटी, कैथल के कर्मचारी बता रहे थे, उनसे उनके शिक्षा प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज लेकर गये थे। उन्होनें ना तो NIILM विश्वविद्यालय, कैथल में किसी भी कोर्स में दाखिला लिया, ना ही फार्म भरा, ना ही विजया बैंक, कैथल या अन्य किसी बैंक में अपनी-अपनी स्कोलरशिप राशि के लिये खाता खुलवाया था और ना ही उन द्वारा कोई शपथ पत्र ही दिया गया था और इसी प्रकार सुनील कुमार पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, रेनू पुत्री सुभाष, पवन पुत्र श्री रामफल, बलराज पुत्र गोपी चन्द, अनिल कुमार पुत्र रामफल, मनजीप पुत्र रामेश्वर वासीयान राजपुरा, जिला जीन्द से की गई पड़ताल के दौरान पाया गया कि उनके गांव के केशव राम पुत्र श्री चन्द्रभान, वासी राजपुरा, मालिक सिद्धार्थ टाईपिंग सैंटर, जीन्द नें उनसे कहा था कि यदि NIILM विश्वविद्यालय, कैथल से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपकी फीस माफ होगी और सरकार की तरफ से स्कोलरशिप मिलेगी और घर बैठे ही डिग्री मिल जाएगी, लेकिन आपको केवल परीक्षा देने के लिये जाना पडेगा। NIILM विश्वविद्यालय, कैथल से बस स्वयं आकर आपको ले जाएगी। केशव के कहने पर उन्होंने उसकी दुकान पर जाकर अपने-अपने 10वीं., 12वीं, राशनकार्ड, जाति प्रमाण व अन्य दस्तावेज की प्रतियां उसको दी थी। उन्हें नहीं पता कि उनका वर्ष 2014-15 में NIILM युनिवर्सिटी में दाखिला हुआ था या नहीं। उन्होंने विजया बैंक, कैथल व अन्य बैंकों में स्कोलरशिप राशि लेने के लिये कोई खाते नही खुलवाये व ना ही उन्होंनें अपनी-2 स्कोलरशिप व मैंटीनैंस राशि प्राप्त की और ना ही विजया बैंक के किसी दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर हैं। श्री केशवराम पुत्र श्री चन्द्रभान, वासी राजपुरा ने उपरोक्त छात्रों द्वारा दिये गये दस्तावेजों को कुलदीप पुत्र ओमप्रकाश वासी भैरो खेड़ा के माध्यम से कामना खेत्रपाल, इन्चार्ज, दाखिला शाखा, NIILM विश्वविद्यालय, कैथल को दे दिये थे और कुलदीप पुत्र श्री ओमप्रकाश, वासी भैरो खेड़ा एवं कामना खेत्रपाल ने उसे आश्वासन दिया था कि इन छात्रों का विश्वविद्यालय के पास सरकार से पैसा आना है जिसमें से 3,000/-रूपये प्रति छात्र दिया जाएगा। उन्हें भी उचित कमीशन दिया जाएगा। यदि

अन्य बच्चे दाखिला लेना चाहें तो उन्हें भी ले आना। परन्तु कुलदीप व मिन्टु ने उससे हेराफेरी करके अपने आप NIILM युनिवर्सिटी से प्राप्त कमीशन लगभग 40 लाख रूपये की राशि बिटटु एजूकेशन सोसाईटी, जीन्द के खाते में ट्रांसफर करवा ली। छात्रों को कोई स्कोलरशिप नहीं दी और ना ही उसका कमीशन दिया। मिन्टू पुत्र श्री राजपाल, वासी डिगाना, हाल वासी चन्द्रलोक कालोनी, जीन्द से की गई पड़ताल के दौरान पाया गया है कि वर्ष 2013 में उसने व कुलदीप सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश, वासी भैरो खेड़ा ने पार्टनरशीप में बिटटु शिक्षा समिति रजिस्टर्ड कराई थी। कुलदीप, वासी भैरो खेड़ा की कामना खेत्रपाल, इन्चार्ज दाखिला शाखा, NIILM युनिवर्सिटी, कैथल से जीन्द में ही मुलाकात हुई थी और कामना खेत्रपाल के कहने पर ही कुलदीप ने कई जिलों के लगभग 500/600 छात्रों का भिन्न-2 क्लासों/कोर्सो में उक्त विश्वविद्यालय में दाखिला करवाया था और जिनकी कमीशन प्रति छात्र 35 प्रतिशत के हिसाब से वर्ष 2013 से 2014 तक समिति के यूको बैंक, जीन्द के खाता नं0 21460210001394 में 40/45 लाख रू0 NIILM युनिवर्सिटी, कैथल से प्राप्त हुये थे। इस राशि में से उन द्वारा नियुक्त किये गये भिन्न-भिन्न जिलों के एजैंटों को राशि दी गई थी। कुलदीप सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश, वासी भैरो खेड़ा, जिला जीन्द से की गई पड़ताल के दौरान पाया गया है कि वह कामना खेत्रपाल, NIILM युनिवर्सिटी, कैथल को जानता है और उसने कामना खेत्रपाल के माध्यम से लगभग 600 अनुसूचित जाति के बच्चों के दाखिला NIILM युनिवर्सिटी, कैथल में करवाये गये थे जिसका उन्हें लगभग 45 लाख रू0 बतौर कमीशन NIILM युनिवर्सिटी, कैथल से प्राप्त हुआ था। जांच के दौरान कामना खेत्रपाल से की गई पड़ताल से भी पाया गया कि NIILM युनिवर्सिटी, कैथल में उपकुलपति द्वारा वर्ष 2013-14 में इन्चार्ज दाखिला शाखा नियुक्त किया गया था। इसलिये वह विश्वविद्यालय में छात्रों के दाखिलों के सम्बन्ध में कई बार जीन्द जाती रही है और कुलदीप सिंह, वासी भैरो खेड़ा के माध्यम से अनुसूचित जाति के 250 छात्रों के दस्तावेज लाकर विश्वविद्यालय में दिये थे। उसके द्वारा दाखिला फार्म के कागजात चैक करने उपरान्त छात्रों के दाखिले किये गये थे। जांच से यह भी पाया गया है कि उपरोक्त स्कालरशिप स्कीम के अर्न्तगत वर्ष 2011 से 2015 के दौरान NIILM विश्वविद्यालय, कैथल, जगन्ननाथ युनिवर्सिटी बल्लभगढ़ व बाबा मस्तनाथ युनिवर्सिटी, अस्थलबोहर, रोहतक के अनुसूचित जाति के छात्रों को भी छात्रवृति राशि दी गई है, परन्तु जगन्ननाथ युनिवर्सिटी बल्लभगढ़ व बाबा मस्तनाथ युनिवर्सिटी अस्थलबोहर, रोहतक विश्वविद्यालयों की फीस स्टक्चर NIILM विश्वविद्यालय, कैथल की फीस स्टक्चर से काफी कम है। जांच से पाया गया है कि उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला कार्यालय द्वारा हरियाणा, प्राइवेट युनिवर्सिटीस अधिनियम, 2006 की धारा 36 के तहत फीस स्ट्रक्चर पर कैपिंग लगाने व धारा 43 के तहत NIILM विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक ओडिट की कोई कार्यवाही नही करवाई गई व उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा प्राईवेट विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2006 की धारा-44ए के तहत NIILM विश्वविद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्यवाही नही की गई है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में कुल मु0 5,26,25,306/-रूपये अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति व मैंटीनैंस भत्ता स्वीकृत किया गया था। उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला द्वारा मैंटीनैंस भत्ता हेतु जारी की गई राशि मु0 17,42,886/-रूपये NIILM विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के विजया बैंक कैथल में उनके व्यक्तिगत खाते खोलकर जमा करवाये गये। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा मैंटीनैंस भत्ता की राशि बैंक अधिकारियों से मिलकर छात्रों की सहमति के बिना वापिस NIILM विश्वविद्यालय, कैथल के खातों में ट्रांस्फर करवाई गई। NIILM विश्वविद्यालय, कैथल के अधिकारियों द्वारा विजया बैंक, कैथल के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके उपरोक्त राशि का गबन किया गया है। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि पवन वासी जुलानी जिला जीन्द की मु0 53,600/-रू0, अनिल वासी राजपुरा जिला जीन्द की मु0 53,600/-रू0, रेनु पुत्री सुभाष वासी राजपुरा की मु0 48,600/-रू0, सौरभ सांगर व गौरव सांगर वासी पिहोवा की मु0 1,27,300/-रू0, नितिन वासी पिहोवा की मु0 53,600/-रू0, पवन कुमार पुत्र रामफल वासी राजपुरा की मु0 52,400/-रू0, मनजीप पुत्र श्री रामेश्वर वासी राजपुरा की मु0 53,600/-रु0, बलराज पुत्र गोपी राम वासी राजपुरा की मु0 52,400/-रू0 की, शुभम कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार वासी सीवन गेट की मु0 53,400/-रू0, सतीश कुमार पुत्र श्री सतपाल की मु0 63,600/-रु0 व गुरमेल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह की मु0 63,600/-रु0 वासीयान सारसा, पेहवा जिला कुरुक्षेत्र की छात्रवृत्ति की राशियां NIILM विश्वविद्यालय, कैथल द्वारा उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला से क्लेम की गई। जबकि उपरोक्त छात्रों द्वारा NIILM विश्वविद्यालय, कैथल में किसी भी कोर्स में दाखिला नहीं लिया था और ना ही उनको अपने-2 दाखिलों बारे कोई जानकारी थी। इस प्रकार कामना खेत्रपाल इन्चार्ज दाखिला शाखा, तत्कालीन उपकुलपति व रजिस्ट्रार NIILM विश्वविद्यालय, कैथल ने आपस में मिलीभगत करके विश्वविद्यालय कैथल के मालिक/चांसलर को अनुचित लाभ पंहुचाने के लिये तथा उपरोक्त विश्वविद्यालय के प्रशासक द्वारा कुलदीप सिंह, मिन्टु व अन्य एजेन्टों को 35 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर अनुसूचित जाति के छात्रों के फर्जी एवं झूठे दाखिले दिखाकर

इन छात्रों की छात्रवृति की कुल 6,75,700/-रुपयें की राशि का गबन किया गया है। तफतीश के दौरान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु जारी की गई मु0 5,26,25,306/-रूपये की राशि बारे अनुसंधान के दौरान देख लिया जाये। उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला व समाज कल्याण विभाग/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति की मिलीभगत पाई जाती है, तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिया जाये। इसके अतिरिक्त छात्रों के हाजिरी रजिस्टर, असल दाखिला फार्म, स्कालरशिप के असल आवेदन फार्म, परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं एवं अन्य रिकार्ड को भी तफतीश के दौरान गहराई से देख लिया जाये। छात्रों के खातों को गलत तरीके से खोलकर व उनकी मैन्टीनैन्स का पैसा उनके बैंक खातों से उनकी सहमति के बिना विश्वविद्यालय के खातों में ट्रांसफर करने में विजय बैंक के अधिकारियों की भूमिका को भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया जाता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग ने पृष्ठांक 63/50/2017-1 चौकसी –I दिनांक चण्डींगढ़ 01.08.2018 के अनुसार राज्य चौकसी ब्यूरो की संस्तुति से सहमती प्रकट करते हुये इस मामले में अभियोग दर्ज करनें के आदेश दिये है। अतः कामना खेत्रपाल इन्चार्ज दाखिला शाखा, तत्कालीन उपकुलपति NIILM विश्वविद्यालय, कैथल, रजिस्ट्रार NIILM विश्वविद्यालय, कैथल, मालिक/चांसलर NIILM विश्वविद्यालय, कैथल, कुलदीप पुत्र ओमप्रकाश वासी गांव भैरो खेड़ा थाना जुलाना जिला जीन्द, मिन्दु पुत्र श्री राजपाल सिहं जाति धानक वासी गांव ढिंगाना थाना सदर जिला जीन्द हाल चन्द्रलोक कालोनी, जुलानी रोड, जीन्द व अन्य एजेन्टों के विरूद्ध धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471, 120बी0 भा0दं0सं0 अभियोग अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट, कैथल व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रति उच्च अधिकारियों को भेजी जावें । मिशल अभियोग व सम्बन्धित रिकॉर्ड तफतीशी अधिकारी को भेजा जावे। हस्ताक्षर हिन्दी निरीक्षक राजेश कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल। अज थानाः- हस्ब आमदा उपरोक्त तहरीर प्राप्त होनें पर बाहवाला रपट न. 07 समय 8.55 पी.एम.पर अभियोगांक 08 दिनांक 01.08.2018 धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471, 120बी0 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट बदस्त सिपाही धर्मयुधिष्टर न. 148/कुरुक्षेत्र के इलाका मैजीस्ट्रेट साहब कैथल व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर तफतीशी अधिकारी के पास भिजवाई जा रही है व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारियों की सेवा में अलग से भिजवाई जा रही हैं। ईन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.** 2 **में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Raj Pal **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 77HAP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sushil Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): 93HAP

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	**Sex (लिंग)**	**Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)**	**Build (बनावट)**	**Height (cms) (कद (से.मी.))**	**Complexion (रंग)**	**Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Female	1980				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1978				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	1973				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)